



कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।



वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0-05/2020-446

दिनांक : 21/7/22

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची/
वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जाने वाली "प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत शोध एवं अन्य कार्यों के लिए रु० 40.756 लाख (चालीस लाख पचहत्तर हजार छः सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृतादेश संख्या 4/यो0ब0-27/2020-37/स्वी0 व0प0 दिनांक 25.03.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0ब0-27/2020-21/आ0 व0प0 दिनांक 14.07.2022।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्मोषण, उप शीर्ष-60 प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु० 40.756 लाख (चालीस लाख पचहत्तर हजार छः सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060110160010103	28.103
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110160010323	12.653
कुल :-		40.756

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) से 1 (ग) पर वर्णित वन संरक्षक होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) से 2 (ज) तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S24060110160010103, 19S24060110160010323, है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।

(Handwritten signature)

5. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।
7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, शोध एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड होंगे, उनके द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी को मार्गदर्शन किया जाएगा।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।
10. नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा किया जाएगा। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकती है।
11. ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, इस संबंधी सूचना इस कार्यालय को दी जाए।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं हो, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।
13. दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय ब्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा। शोध से संबंधित कृषि वानिकी एवं एग्रोफोरेस्ट्री से संबंधित शोध पर किये जा रहे व्यय एवं प्राप्त राजस्व से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
14. (i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।
- (iii) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
- (iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।
- (v) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाएगा।
- (vi) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैटर्न पर तैयार करायें।

(vii) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(viii) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(ix) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

15. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(i) सभी यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(ii) वैसे यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

16. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

17. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत हजारीबाग, गिरीडीह एवं गोड्डा जिलों में योजना के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक- 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

20. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाए।

21. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनांतर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना

सं०-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापाक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

22. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

23. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

24. वैसी राशि जिनके व्यय की संभावना इस वित्तीय में क्षीण है, उनकी निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।

25. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-05/2020-446 दिनांक-21/7/22

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची/एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची/पी0एम0यू0 सेल, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-05/2020-446 दिनांक-21/7/22

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जानेवाली "प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत किये जा रहे शोध एवं अन्य कार्यों का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :- वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वित्तीय वर्ष 2022-23 (पंचम वर्ष)		
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v
1	Long term Ecological Analysis in 40 permanent plots (old) and establishment of 10 new permanent plots in Jharkhand.	3.540	6.165	9.705
योग :-		3.540	6.165	9.705

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जानेवाली "प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत किये जा रहे शोध एवं अन्य कार्यों का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :- वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वित्तीय वर्ष 2022-23 (चतुर्थ वर्ष)		
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v
1	Agroforestry Model development & its analysis.	3.655	1.231	4.886
योग :-		3.655	1.231	4.886

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जानेवाली "प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत शोध से संबंधित किये जा रहे कार्यों का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :- वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वित्तीय वर्ष 2022-23 (चतुर्थ वर्ष)		
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	vi
1	Arboretum Development and its analysis - 10 ha	1.474	0.271	1.745
2	Bambusetum Development and its analysis - 7 ha	1.390	0.190	1.580
3	Soil Conservation Demonstration area Development and its analysis - 20 ha	2.893	0.318	3.211
4	Model Water Demonstration area Development and its analysis - 10 ha	0.915	0.096	1.011
5	Comparative study of multitier cropping system - 4.57 ha	8.140	3.012	11.152
6	Establishment of Demonstration site of Agroforestry with mixed forest species in natral forest - 2 ha	5.875	1.318	7.193
7	Establishment of Seed Production Area - 2.61 ha	0.221	0.052	0.273
योग :-		20.908	5.257	26.165

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

शोध एवं मुल्यांकन प्रक्षेत्र मोतीलेदा में वनस्पति उद्यान (Arboratum) की स्थापना का कार्यदर

योजना का नाम - वनस्पति उद्यान की स्थापना

कुल रकवा - 10 हे०

प्रखण्ड का नाम - देवघर

पौधों की संख्या - 4000

स्थल का नाम - घरमारा

जी०पी०एस० रिडिंग - N-24.534601 E-86.703078

थाना न० - देवघर 422 प्लॉट सं० - 250 (P)

पौधों की दूरी - 5 मी० x 5 मी०

क्र० सं०	कार्य विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
क	वित्तीय वर्ष 2022-23 संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 326.85					
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	56	18,303.60	0.00	18,303.60	
2	पौधों की सुरक्षा	365	119,300.25	0.00	119,300.25	
3	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	0	-	3,120.00	3,120.00	
4	मृत पौधों का बदलाव (20 प्रतिशत रु० 60/- प्रति पौधा के दर से)	30	9,805.50	24,000.00	33,805.50	
	योग:-	451	147,409.35	27,120.00	174,529.35	

नोट:- बांस उद्यान की महत्ता को देखते हुए सुरक्षा पर एक व्यक्ति पुरे वर्ष के लिए रखा गया है समापन एवं संपोषण कार्य चार वर्षों तक किये जाने का प्रस्ताव है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

शोध एवं मुल्यांकन प्रक्षेत्र मोतीलेदा में बाँस उद्यान (Bamboo Setum) की स्थापना का कार्यदर

योजना का नाम - बाँस उद्यान की स्थापना

कुल रकवा - 7 हे०

प्रखण्ड का नाम - देवघर

पौधों की संख्या - 2800

स्थल का नाम - खिलचक

जी०पी०एस० रिडिंग - N-24.530084 E-86.582497

थाना न० - सारवा प्लॉट सं० - 8

पौधों की दूरी - 5 मी० x 5 मी०

क्र० सं०	कार्य विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
क	वित्तीय वर्ष 2022-23 संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 326.85					
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	39.2	12,812.52	0.00	12,812.52	
2	पौधों की सुरक्षा	365	119,300.25	0.00	119,300.25	
3	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	0	-	2,184.00	2,184.00	
4	मृत पौधों का बदलाव (20 प्रतिशत रु० 60/- प्रति पौधा के दर से)	21	6,863.85	16,800.00	23,663.85	
	योग:-	425.2	138,976.62	18,984.00	157,960.62	

नोट:- बाँस उद्यान की महत्ता को देखते हुए सुरक्षा पर एक व्यक्ति पुरे वर्ष के लिए रखा गया है समापन एवं संपोषण कार्य चार वर्षों तक किये जाने का प्रस्ताव है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वन भूमि पर वृक्षारोपण का कार्यदर

योजना का नाम -भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना
पौधों की दूरी-3 मी0 x 2 मी0,

कुल रकवा -- 20 हे0
पौधों की संख्या --33320
स्थल का नाम -सिरका

थाना - अनगडा, थाना नं0 - 12 प्लॉट स0 - 2272,

G.P.S. Coordinates- N- 23°405714 E- 85°553707

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
ग	वित्तीय वर्ष 2022-23 संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 326.85						
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे0	460	150,351.00	0.00	150,351.00	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	हे0	0	-	26,000.00	26,000.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	स्थल	365	119,300.25	0.00	119,300.25	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0	60	19,611.00	5,800.00	25,411.00	
	योग:-		885	289,262.25	31,800.00	321,062.25	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

जल संरक्षण-सह-वृक्षारोपण का कार्यदर

योजना का नाम - जल संरक्षण -सह - वृक्षारोपण योजना
पौधों की दूरी-3 मी0 x 3 मी0, 2 मी0 x 2 मी0, 3 मी0 x 2 मी0

कुल रकवा - 10 हे0

पौधों की संख्या - 10000

स्थल का नाम - उपरकोनकी

थाना - पिठोरीया प्रखण्ड- कांके थाना नं0 - 21 प्लॉट स0 - 04

G.P.S. Coordinates- N- 23°31'44.78

क. सं0	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
क	वित्तीय वर्ष 2022-23 संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 391.00						
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे0	140	45,759.00	0.00	45,759.00	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक,कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे0	0	-	7,850.00	7,850.00	
3	पौधों की सुरक्षा	हे0	120	39,222.00	0.00	39,222.00	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0	20	6,537.00	1,760.00	8,297.00	
	योग:-		280	91,518.00	9,610.00	101,128.00	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

Comparative Study Of Multitier Cropping System under different Agroforestry System viz. Agri-Silviculture, Horti-Silviculture and Agri-Horti-Silviculture

कृषि वानिकी कार्य का कार्यदर

योजना का नाम - कृषि वानिकी कार्य की स्थापना
पौधों की दूरी - 5 मी0 x 5 मी0

कुल रकवा - 4.57 हे0
पौधों की संख्या - 1828
स्थल का नाम - गेतलसुद

प्लॉट सं0 - 2288 थाना नं0 - 09 थाना - अनगड़ा

G.P.S Coordinates - N 23.21'28.18

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
ग	वित्तीय वर्ष 2022-23 संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 326.85					
1	वानिकी कार्य					
1.2	एक कोड़नी एवं निकोनी	25.592	8,364.75	0.00	8,364.75	
1.3	सुरक्षा पर व्यय	365	119,300.25	0.00	119,300.25	
1.4	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	0	0.00	1,425.84	1,425.84	
1.5	डीजल मोबील पम्प की मरम्मत एवं संचालन पर व्यय	0	0.00	137,100.00	137,100.00	
2	कृषि कार्य					कृषि विज्ञान केन्द्र, राँची, जिला कृषि पदाधिकारी, राँची एवं उपायुक्त, राँची द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर।
2.1	वर्ष में दो बार दलहन (रबी एवं खरीफ) लगाने पर व्यय (0.4 ha.)	658	215,093.45	12,151.63	227,245.08	सामग्री में 20% वृद्धि के साथ
2.2	वर्ष में तीन बार मौसमी सबजियों (रबी एवं खरीफ) लगाने पर व्यय (0.3 ha.)	548	179,244.54	150,491.93	329,736.47	सामग्री में 20% वृद्धि के साथ
3	JPF-Agroforestry Experts @ Rs. 16000/- per month	0	192,000.00	0.00	192,000.00	
4	Training meeting & travel					
4.1	Introductory workshop in project area (2 workshop)	0	50,000.00	0.00	50,000.00	
4.2	Traveling allowance to attained workshop and seminar for concerned subject	0	30,000.00	0.00	30,000.00	
5	Data collection & reports					
5.1	Data collection and Project Result Documentation	0	10,000.00	0.00	10,000.00	
5.2	COMMUNICATIONS/REPORTS/LITERATURE/ Stationary/other	0	10,000.00	0.00	10,000.00	
	योग:-	1597.07	814,002.98	301,169.40	1,115,172.38	

नोट:- कृषि वानिकी की महत्ता को देखते हुए सुरक्षा पर एक व्यक्ति पुरे वर्ष के लिए रखा गया है एवं संपोषण कार्य चार वर्षों तक किये जाने का प्रस्ताव है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

Establishment of demonstration site of Agroforestry with Mixed forest species

कृषि वानिकी कार्य का कार्यदर

योजना का नाम - कृषि वानिकी कार्य की स्थापना

कुल रकवा - 2 हे०

पौधों की दूरी - 5 मी० x 5 मी०

पौधों की संख्या - 800

प्लॉट सं० - 2288 थाना नं० - 09 थाना - अनगड़ा

स्थल का नाम - चतरा

क्र० सं०	कार्य विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
ग	वित्तीय वर्ष 2022-23 संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 326.85					
1	वानिकी कार्य					
1.2	एक कोड़नी एवं निकोनी	11.2	3,660.72	0.00	3,660.72	
1.3	सुरक्षा पर व्यय	365	119,300.25	0.00	119,300.25	
1.4	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	0	0.00	624.00	624.00	
1.5	डीजल मोबील पम्प की मरम्मत एवं संचालन पर व्यय	0	0.00	60,000.00	60,000.00	
2	कृषि कार्य					कृषि विज्ञान केन्द्र, राँची, जिला कृषि पदाधिकारी, राँची एवं उपायुक्त, राँची द्वारा अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर।
2.1	वर्ष में दो बार दलहन (रबी एवं खरीफ) लगाने पर व्यय (0.4 ha.)	288	94,132.80	5,318.00	99,450.80	सामग्री में 20% वृद्धि के साथ
2.2	वर्ष में तीन बार मौसमी सबजियों (रबी एवं खरीफ) लगाने पर व्यय (0.3 ha.)	240	78,444.00	65,860.80	144,304.80	सामग्री में 20% वृद्धि के साथ
3	JPF-Agroforestry Experts @ Rs. 16000/- per month	0	192,000.00	0.00	192,000.00	
4	Training meeting & travel					
4.1	Introductory workshop in project area (2 workshop)	0	50,000.00	0.00	50,000.00	
4.2	Traveling allowance to attend workshop and seminar for concerned subject	0	30,000.00	0.00	30,000.00	
5	Data collection & reports					
5.1	Data collection and Project Result Documentation	0	10,000.00	0.00	10,000.00	
5.2	COMMUNICATIONS/REPORTS/ LITERATURE/ Stationary/other	0	10,000.00	0.00	10,000.00	
	योग:-	904.20	587,537.77	131,802.80	719,340.57	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

बीज उत्पादन क्षेत्र (Seed Production Area) की स्थापना का कार्यदर

योजना का नाम - बीज उत्पादन क्षेत्र की स्थापना

कुल रकवा - 2.61 हे०

स्थल का नाम - घुरलेटा

वृक्षों की संख्या - 390(अधिकतम)

प्लॉट सं० - 113 थाना नं० - 49 थाना - अनगड़ा

G.P.S Coordinates - N 23.23'09.9" E
85.34'40.05"

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
ग	वित्तीय वर्ष 2022-23 संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 326.85						
1	सीड प्रोडक्शन हेतु चयनित गुणाढ्य वृक्षों (150 वृक्ष प्रति हे०) की कोड़नी 5 फीट की त्रिज्या में एवं 6" ईंच गहराई तक।	हे०	31.32	10236.94	0.00	10236.94	
2	गुणाढ्य वृक्ष वार अलग अलग बीज संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण एवं अभिलेख संधारण कार्य।	हे०	26.00	8498.10	2610.00	11108.10	
3	प्रत्येक वृक्ष में जैविक खाद डालना/उर्वरक, डी०पी० डालना आवश्यकतानुसार।	हे०	7.83	2559.24	2610.00	5169.24	
4	घेरान मरम्मति	प्रति इकाई	2.61	853.08	0.00	853.08	
	योग -		67.76	22147.36	5220.00	27367.36	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-05/2020/446

दिनांक - 21-Jul-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110160010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन 01-प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	38501	DRNFWL032 SMITHA PANKAJ CF & STATE SILVICULTURIST JH 03 - मजदूरी	719,500.00 रुपये सात लाख उन्नीस हजार पाँच सौ
2	S 19 24060110160010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन 01-प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	38503	DRNFWL020 N.S.R. KUMAR CF.PLANTATION RES.&EVL.JHKD 03 - मजदूरी	2,090,800.00 रुपये बीस लाख नब्बे हजार आठ सौ
3	S 19 24060110160010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन 01-प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	38505	DRNFWL032 SMITHA PANKAJ CF & STATE SILVICULTURIST JH 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	739,600.00 रुपये सात लाख उनचासीस हजार सौ

योग: रुपये पैतीस लाख उनचास हजार नौ सौ

3,549,900.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
DEPT. OF FORESTRY, JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंडित राशि
4	S 19 24060110160010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संभोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन 01-प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन 03 - प्रशासनिक व्यय	38506	DRNFWL020 N.S.R. KUMAR CF.PLANTATION RES.&EVL.JHKD 23 - आपूर्ति एवं सापत्नी	525,700.00 रुपये पाँच लाख पच्चीस हजार सात सौ



State Scheme : NA
Central Scheme : NA

योग:

रुपये बालीस लाख पचहत्तर हजार छः सौ

525,700.00

क्रमिक योग:

4,075,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. ECCE DEV. JHARKHAND